

संचालनालय पशुपालन
कामधेनु भवन वैशालीनगर भोपाल

कमांक 9570 /स्था-ब/स.प.चि.क्षे.अ.भर्ती/2018-19/ भोपाल, दिनांक : 18/5/2018
//आदेश//

मध्यप्रदेश व्यवसायिक परीक्षा मण्डल द्वारा चयनित (आरक्षित) वर्ग के उम्मीदवारों को सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारियों के पद पर मध्यप्रदेश वेतन पुनरीक्षण नियम-2107के वेतन मेट्रिक्स परिशिष्ट-1 के लेवल 6 के प्रारम्भिक वेतन रूपये 25300 /-(छट्वां वेतनमान वेतन बैंड रू. 5200-20200+2400 ग्रेड पे) में अस्थाई रूप से 2वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर नियुक्त करते हुए उनके नाम के समक्ष कालम (6) में उल्लेखित स्थान पर निम्न सेवा शर्तों के अधीन पदस्थ किया जाता है :-


क.	आवेदक का नाम	पिता/पति का नाम	वर्ग	गृह जिला	पदस्थापना स्थान
1	2	3	4	5	6
1.	मेघा भालसे	अनिल कुमार भालसे	अनु.जाति	बडवानी	पशु औषधालय केली जिला खरगौन
2.	कविता डोंगरे	दयाल सिंह	अनु. जाति	राजगढ़	पशु औषधालय दहरीकला जिला गुना
3.	उदल सिंह	हाकिम सिंह	अनुत्र जाति	मुरैना	पशु औषधालय बादरी जिला सागर
4.	अशोक कुमार	चन्दरलाल	अनु. जाति	आगर	पशु चिकित्सालय सारंगपुर जिला राजगढ़
5.	रविन्द्र कुमार	सुरेश सिंह	अ.जाति	मुरैना	पशु चिकित्सालय रजवास जिला सागर
6.	संतोष कुमार प्रजापति	छोटवा प्रजापति	अनु. जाति	रीवा	पशु चिकित्सालय गैरीहार जिला छतरपुर
7.	सिंधूबाला धूर्वे	बलराम धूर्वे	अ.ज.जाति	छिन्दवाड़ा	पशु औषधालय पलोहाबडा जिला नरसिंहपुर
8.	अनिता बघेल	कानसिंह बघेल	अ.ज.जाति	धार	पशु औषधालय विटनेरा जिला खरगौन
9.	तरुण बघेल	केशर सिंह बघेल	अ.ज. जाति	धार	पशु चिकित्सालय जावद जिला नीमच
10.	नरेन्द्र सिंह	सुखदेव	अ.ज. जा	धार	पशु औषधालय बरोठा जिला देवास
11.	दिलीप गामोड	कृष्ण सिंह गामोड	अ.ज.जा	झाबुआ	पशु औषधालय तुकड़थड जिला बुरहानपुर
12.	प्रशांत मेढा	रायसिंह मेढा	अ.ज.जा.	झाबुआ	पशु औषधालय मथवाड जिला अलीराजपुर
13.	कल्याणी तितरमारे	खुमान सिंह तितरमारे	अ.पि.वर्ग	बालाघाट	मुख्य ग्राम इकाई सहसना जिला सिवनी
14.	सौरभ सेन	जी.आर.सेन	अ.पि.वर्ग	टीकमगढ़	पशु चिकित्सालय मालथोन जिला सागर

सेवा शर्तें

- 1 आदेश जारी होने की तिथि से एक माह के अन्दर अपना उपस्थिति प्रतिवेदन संबंधित संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ को प्रस्तुत करना आवश्यक होगा। अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जावेगा।

(Handwritten Signature)

2. नियुक्त किये गये उम्मीदवार को कार्यभार ग्रहण करने के पूर्व जिले के मेडीकल बोर्ड का स्वास्थ्य प्रमाण - पत्र प्रस्तुत करना होगा अन्यथा उसे कार्यभार ग्रहण नहीं करने दिया जावेगा।
3. मध्य प्रदेश शासन वित्त विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-9/3/03/नियम/4 दिनांक 13/4/2005 एवं प्रमुख सचिव वित्त का अर्द्ध शासकीय पत्र क्रमांक एफ-9/3/03/नियम /4 दिनांक 2.7.2005 के अनुसार राज्यशासन के अधीन 1.1.2005 अथवा उसके पश्चात् नियुक्त होने वाले कर्मचारियों को परिभाषित अंशदान पेंशन प्रणाली लागू की जाना है, का पालन किया जाय।
4. मध्य प्रदेश शासकीय सेवा (अस्थायी एवं अर्द्ध स्थायी सेवा नियम 1960 के नियम 12 के अनुसार संबंधित व्यक्ति की सेवायें किसी भी समय किसी भी एक पक्ष द्वारा एक माह का नोटिस देकर या उसके एवज में एक माह का वेतन तथा भत्ते आदि का भुगतान किये बिना सेवा छोड़ने पर उक्त शर्तों के अन्तर्गत एक माह का वेतन भत्तों के बराबर देय राशि संबंधित व्यक्ति से भूराजस्व की बकाया की भांति वसूली योग्य होगी।
5. मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञापन क्रमांक एफ-सी 3-15/2012/1/3, दिनांक 24 नवम्बर 2012 के अनुसार यह नियुक्ति आदेश चरित्र सत्यापन की प्रत्याशा में जारी किये जा रहे हैं।, यदि चरित्र सत्यापन की रिपोर्ट में आप शासकीय सेवा के अयोग्य पाये जाते हैं तो आपकी नियुक्ति तत्काल प्रभाव से समाप्त की जायेगी।
6. संबंधित संयुक्त संचालक/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवाएँ की ओर निर्देशित किया जाता है कि संबंधित कर्मचारी के प्रमाण-पत्रों की पुष्टि कर इस कार्यालय को सूचित करें।
7. प्रमाणित किया जाता है कि नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के आरक्षण संबंधी आदेशों में उल्लेखित नियमों का पालन किया गया है।
8. परिवीक्षा अवधि में सतोषजनक कार्य सम्पादन करने पर दो वर्ष की सेवा पूर्ण करने के उपरांत वेतनमान में रूपये 25300-80500 नियमानुसार नियमित किया जावेगा।
9. उपरोक्त नियुक्तिया माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ इन्दौर में दायर याचिका क्रमांक 5318/2018 के निर्णय के अधीन है।
10. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा विभिन्न याचिकाओं में दिये गये निर्देशानुसार निर्णय होने तक याचिकाकर्ता हेतु पद रिक्त रखे गये हैं।
11. उपरोक्त अभ्यर्थियों की वरिष्ठता पी.ई.बी.द्वारा वर्ष 2017 में आयोजित एवं संचालनालय को उपलब्ध कराई गई सूची में प्राप्त अंको के आधार पर निर्धारित होगी।


 (डॉ.आर.के.प्रसाद)
 संचालक,
 पशुपालन मध्यप्रदेश
 भोपाल

पृ.कमांक ०५७१ /स्था-ब/स.प.चि.क्षे.अ.भर्ती/2018-19/ भोपाल, दिनांक : 18/6/ 2018

प्रतिलिपि :-

1. प्रमुख सचिव, मध्य प्रदेश शासन पशुपालन विभाग मंत्रालय भोपाल।
2. संबंधित कलेक्टर जिला म.प्र.
3. संबंधित संयुक्त/उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें मध्य प्रदेश की ओर भेजकर लेख है कि उपरोक्तांकित सेवा शर्तों के अनुरूप कार्यवाही करते हुए अपने जिले के जिला कोषालय अधिकारी एवं संचालक कोष एवं लेखा को निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भेजते हुए संचालनालय को अवगत कराये।
4. उप संचालक स्थापना ब संचालनालय भोपाल।
5. अधीक्षक स्थापना ब संचालनालय
6. श्री /सुश्री

संचालक,
पशुपालन मध्यप्रदेश
भोपाल